

<p>तारीख हुकम</p> <p>25-10-18</p> <p>17.12.2018</p>	<p>महेबा चन्दा बनाम महेबा उमर बगौरध. हुकम या कार्यवाही नय लघुहस्ताक्षर जज</p> <p>पत्रावली पत्र मु.नं० - 416/12</p> <p>इकजाई तारीख पेशी देने पर आज पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरिकेन उपस्थित/पीठा. अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/मौटिंग में है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक पत्रावली वकील प्रार्थी के प्रार्थना पत्र फैसल मिसल तलबी का पेश करने पर पत्रावली आगामी पेशी 25.01.2019 से पूर्व तलब होकर पेश हुई। प्रकरण में वकील प्रार्थी ने उपस्थित होकर प्रकरण में पक्षकारान् के मध्य आपस में राजीनामा हो जाने से प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में राजीनामा पेश किया। जो शामिल पत्रावली किया गया। वकुलाय उभय पक्षकारान् ने प्रकरण में पक्षकारान् के मध्य आपस में हुए राजीनामा के अनुसार प्रार्थना पत्र का आज ही निस्तारण किये जाने का निवेदन किया। वकुलाय उभय पक्षकारान् के निवेदन पर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा से सम्बन्धित मूल वादपत्र बरुए राजीनामा आज निस्तारित हो चुका है।</p> <p>अतः ऐसी स्थिति में इस प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को इसी स्तर पर बरुए राजीनामा निस्तारित किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों।</p> <p>यह निर्णय आज दिनांक 17.12.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p>सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)</p>
---	---